



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30052026-273000
CG-DL-E-30052026-273000

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2607]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 29, 2026/ज्येष्ठ 8, 1948

No. 2607]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 29, 2026/JYAISTHA 8, 1948

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 2026

का.आ. 2700(अ).— केंद्रीय सरकार, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) की धारा 136 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त संहिता की धारा 122 के अधीन नियुक्त निरीक्षक-सह-सुविधा प्रदाताओं को, उन स्थापनों जिन को संहिता का अध्याय 3 लागू होता है, के संबंध में शिकायत दर्ज करने के लिए प्राधिकृत करती है।

[फा. सं. एस-35025/17/2026-एसएस-II]

तेजस्वी एस. नायक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th May, 2026

S.O. 2700(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 136 of the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020), the Central Government hereby authorises the Inspector-cum-Facilitators appointed under section 122 of the said Code for filing complaint in relation to establishments to which Chapter III of the said Code.

[F. No. S-35025/17/2026-SS-II]

TEJASWI S. NAIK, Jt. Secy.